

अपील सूचना अधिकार संख्या 139/2020 (GCMS 2020/00234) राधेश्याम
गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी
23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी,
(एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर
08.02.2021



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 09.09.2020 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे बिन्दुवार उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/- शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके पत्रांक ईआरओ/गंगा/2014 दिनांक 02.04.2014 पत्रांक 557 जो बीएलओ भाग सं. 80 श्री सुभाष गोयल को विधानसभा 2013 के सम्बन्ध में लिखा गया था उसकी सूचना व पत्रांक की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त पत्रांक के जबाव में जो-जो कार्यवाही जिस-जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र के सन्दर्भ में बीएलओ द्वारा दिये गये जबाव की सूचना व जबाव की प्रमाणित प्रति।



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. आदर्श आचार संहिता के पत्रांक 29 दिनांक 31.03.2014 के पत्रांक की सूचना व पत्रांक की प्रमाणित प्रति। जो आपके कार्यालय को प्रभारी आदर्श आचार संहिता ने लिखा है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/1284 दिनांक 07.10.2020 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

1. बिन्दु संख्या 1, 2, 3 के सम्बन्ध में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो एवं कार्यालय के कार्य संसाधनो प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः आप कार्यालय दिवस/कार्यालय समय में इस कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना को चिन्हित कर लिखित रूप में अवगत करवावें कि आपको किस नियम

क्रमांक/दिनांक, परिपत्र क्रमांक/दिनांक की आवश्यकता है ताकि नियमानुसार आपको उसकी प्रति उपलब्ध करवायी जा सके।

2. बिन्दु संख्या 4 क्रम में आप द्वारा वांछित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

-sd-

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूँकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2020 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 07.10.2020 से बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया है एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है, जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का प्रार्थी को नियमानुसार निरीक्षण करवा दें और प्रार्थी यदि उसमें से किसी अभिलेख की नकल चाहे तो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर